न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2021/361 दर्ज तिथिः—01.11.2021

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना—पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 1, 71/2, 2, 54, 56/1, 56/2, 54/1, 56/3, 56, 55, 3, 8/1, 7/2, 7/3, 5, 10, 7/1, 8 मौजा मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी में उक्त रास्ता स्थाई रूप से बारहमासी चलायमान है जिस पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है। परंतु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। अतः मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया है।

2. प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 10.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान—मौखावा खुर्द में समस्त अप्रार्थीगण द्वारा सहमति प्रदान किये जाने पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 17 द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.08.2022 द्वारा हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.11.2021 को पुनः रिमाण्ड कर समस्त हितबद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण के पश्चात् प्रकरण का विधिवत निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।

3. प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जाकर प्रार्थना—पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में एक अप्रार्थी को छोड़कर समस्त अप्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र पर बतौर सहमती प्रदान किया जाना अवगत करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 17 असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय होकर खसरा संख्या 54/1 में से चालू रास्ते से रास्ता प्रस्तावित करने पर सहमति प्रदान की। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/593 दिनांक 15.04.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की। जिसका उद्धरण इस प्रकार हैः—

    1. *यह है कि ग्राम [illegible] 71/2, 54, 56/1, 56/2, 54/1, 56/2, 54/[illegible] 56, 55, 8/1, 7/2, 7/3, 5, 10, [illegible] बारहमासी रास्ता चालू है।*
    2. *यह है कि ग्राम मौखावा खुर्द के खसरा संख्या 71/2, 54, 5[illegible] 56/2, 54/1, 56/2, 54/1, [illegible]/3, 56, 55, 8/1,*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:40 IST
Reason: SelfAttested

7/3, 5, 10, 7/1, 8 में से चालू रास्ता आमजन के उपयोग में आ रहा है।

3. *यह है कि ग्राम मौखावा खुर्द के खसरा संख्या 71/2, 54, 56/1, 56/2, 54/1, 56/2, 54/1, 56/3, 56, 55, 8/1, 7/2, 7/3, 5, 10, 7/1, 8 में से रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकिन किया जाना प्रस्तावित है।*

4. प्रकरण में उभयपक्षकारों की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस अप्रार्थी संख्या 17 ने उक्त रास्ते के मौके पर खसरा संख्या 55 में से रास्ता चालू नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 71/2, 54, 56/1, 56/2, 54/1, 56/2, 54/1, 56/3, 56, 55, 8/1, 7/2, 7/3, 5, 10, 7/1, 8 मौजा मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी में उक्त रास्ता बारहमासी चालू रास्ता होने पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व 30.09.2021 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग में आ रहा है। परंतु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2025/593 दिनांक 15.04.2025 के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 17 द्वारा खसरा संख्या 55 में से उक्त रास्ता मौके पर चालू नहीं है। अप्रार्थी संख्या 17 के अतिरिक्त सभी अप्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते के अनुसार रास्ता प्रस्तावित करने हेतु सहमत हैं। ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 55 की सीमा तक उक्त रास्ते में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को खसरा संख्या 54, 54/1 एवं 8/1 में से प्रस्तावित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रस्तावित मार्ग पर कदीमी रास्ता मौके पर चालू है। इस संबंध में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार केवल बारहमासी मौके पर चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं।

6. उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां भू–अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित कदीमी रास्ते को मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के प्रावधानों के तहत खसरा संख्या 71/2, 54, 56/1, 56/2, 54/1, 56/2, 54/1, 56/3, 56, 8/1, 7/2, 7/3, 5, 10, 7/1, 8 मौजा मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी में उक्त रास्ता सहकाश्तकारों के मध्य विभाजन होने पर सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में [illegible] को आकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं मौके पर चालू रास्ते के भूमि उप[illegible] को गै0मु0 रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

वादी का उक्त [illegible]रस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के

तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना—पत्र में वर्णित खसरा संख्या 71/2, 54, 56/1, 56/2, 54/1, 56/2, 54/1, 56/3, 56, 8/1, 7/2, 7/3, 5, 10, 7/1, 8 मौजा मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:40 IST
Reason: SelfAttested